न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 232/18

बाबूलाल पुत्र कैलीराम जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी ग्राम खटनावली तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

—— वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र रामप्रसाद
2. सुरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद
3. गिरीश पुत्र रामप्रसाद
4. गुल्लो पुत्र सुन्दरलाल
5. महेश पुत्र टीकम मृतक

5/1. राजू उर्फ राजकुमार पुत्र स्व0 महेश
5/2. उमेश पुत्र स्व0 महेश
5/3. पिंकी पुत्र स्व0 महेश

6. कलुआ पुत्र टीकम
7. धनेश पुत्र सुन्दरलाल
8. सरदार पुत्र मुरली
9. मुकेश पुत्र रामप्रसाद
10. सोमदत्त पुत्र सरदार

सभी जातियान बागरी ब्राहम्ण निवासी ग्राम खटनावली तहसील बयाना

वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 188 राज0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांकः– 10/04/26

उपस्थितिः– श्री नरेश कुमार सिघंल एड0 वादी

वादी द्वारा यह दावा वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज0टी0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1805 रकवा 0.50, 1806 रकवा 0.49 है0 किता 2 रकवा 0.09 है0 ग्राम खटनावली तहसील बयाना में स्थित है नकल जमाबन्दी साथ में पेश है, वादपत्र की खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी का वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है वर्तमान में उक्त आराजी में वादी ने गेहू की फसल बोई है जो मौके पर उगकर सरसब्ज खडी हुई है, प्रतिवादीगण का वादपत्र की खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी से या इसके किसी भाग से कोई वास्ता नही है लेकिन वे जोर जबरदस्तव लठैत, सरगना व पैसे वाले व्यक्ति है जिन्होंने वादी के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है जो आये दिन झगडा करने पर उतारू रहते है, दिनांक 15.12.2018 को प्रतिवादीगण मौके पर आ गये और धमकी दी कि हम तेरे द्वारा बोई हुई फसल को लठ्ठ व पैसे की ताकत से बनियत चोरी काटकर ले जायेंगे अगर तुमने रूकावट डाली तो तुम्हारे विरूद्ध झूठे मुकदमें लगाकर बरबाद कर देंगें, वादी अकेला व गरीब होने के कारण वह प्रतिवादीगण का मुकाबला करने में कतई असमर्थ है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक हुआ है।

अन्त में वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे– आराजी खसरा नम्बर 1805 रकवा 0.50, 1806 रकवा 0.49 हैक्टै0 किता 2 रकवा 0.99 हैक्टे0 ग्राम खटनावली तहसील बयाना में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से मदाखलत व मजाहमत न करे न फसल को नष्ट करें, न ऐसा कोई कार्य करें और न किसी से कराये कि जिससे वादी के उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा हो का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(भरतपुर)

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जबाव दावा पेश कर दावा की अंधिकाश मदों को अस्वीकार कर विशेष विवरण में अंकित किया है कि उक्त उनवान का मुकदमा इसी आराजी बावत इन्ही पक्षकारान के मध्य पूर्व में भी इसी न्यायालय में चल चुका है जो दिनांक 31.10.2018 को उक्त वादी की अदम हाजिरी व अदम पैरवी में वहस की स्टेज पर खारिज हो चुका है वादी ने उक्त मुकदमा को पुनः नम्बर पर न लेकर वह दूसरा दावा पेश कर दिया है जो रेसजुडीकेटा के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है, विवादित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों की छोडी हुई है, उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है व वादी 1/2 भाग का खातेदार व काश्तकार है उक्त आराजीयात के अलावा अन्य आराजी मे भी वादी व प्रतिवादीगण व हिस्सा बराबर 1/2, 1/2 के खातेदार काश्तकार दर्ज है कैलीराम वादी का पिता जमीदारी समय में नम्बरदार था उसने रेवेन्यू कर्मचारियों से मिलकर प्रतिवादी गण के पिता को आराजीयात के 1/2 भाग में खातेदारी दर्ज कराने के बजाय शिकमी खातेदार दर्ज करा दिया जबकि प्रतिवादीगण के पिता रामप्रसाद के 1/2 भाग को वहैसियत खातेदार काश्तकार राजस्थान टीनैन्सी एक्ट लागू होने के पूर्व से ही काश्त करते चले आ रहे है उनकी मृत्यु के बाद से ही प्रतिवादीगण उक्त रकवे को काश्त करते चले आ रहे है, प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयत से खसरा नम्बर 1805 रकवा 0.50 हैक्टे0 निरविवाद रूप से वहैसियत खातेदार काश्तकार पचासों वर्षों से कब्जा चला आ रहा है इस कारण प्रतिवादीगण एड वर्ष पजेशन के आधार पर भी आराजीयात के 1/2 भाग में खातेदार काश्तकार हो गये है प्रतिवादीगण वाले 1/2 भाग से वादी का कभी कोई वास्ता व सरोकार नही रहा है न कभी कब्जा काश्त ही रहा है दावा करने के समय भी वादी का आराजीयात पर कब्जा नही था विवादित आराजी मौके पर बराबर भागों में बटी हुई है इसी कारण सैटिलमेंट कर्मचारियों द्वारा उसके दो नम्बर बना दिये गये है नवीन खसरा नम्बर 1805 पर मनवट के अनुसार प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 1806 पर वादी बाबूलाल का कब्जा है लेकिन वादी जबरदस्ती प्रतिवादीगण से उनके कब्जे काश्त व हिस्से की आराजी को छीनने पर उतारू है तथा उसने बिना कारण प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिये यह दावा पेश किया है इस कारण प्रतिवादीगण वादी से 10 हजार रूपया विशेष हर्जाना प्राप्त करने के अधिकारी है, प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात के 1/2 भाग में राजस्थान टीनैन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व से ही कब्जे में है तथा रिकार्ड में शिकमी दर्ज रहे है उक्त आधार पर भी प्रतिवादीगण आराजीयात में 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार हो गये है।

प्रकरण मे दावा, जबाव दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः—

1. आया वाद पत्र के खण्ड संख्या 01 में वर्णित आराजी वादी की खातेदारी, काश्तकारी आराजी है।
2. आया वादपत्र के खण्ड संख्या 04 अनुसार प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 15.12.2018 को धमकी दी।
3. आया उत्तरवाद के खण्ड संख्या 11 अनुसार विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो की छोडी हुई जमीन है जिसमें वादी 1/2 भाग एवं प्रतिवादीगण 1/2 भाग के खातेदार दर्ज है।
4. आया खसरा नम्बर 1805 पर प्रतिवादीगण का 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है।
5. उत्तरवाद के मद संख्या 14 अनुसार प्रतिवादीगण विवादित आराजी के 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार हो गए है।
6. दादरसी

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी को एकपक्षीय सुना। एड0 वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दावा वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में वादी द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2072–75 ग्राम खटनावली, शपथ पत्र बाबूलाल पुत्र कैलीराम, घनश्याम पुत्र फगुनी के शपथ पत्र पेश किये।

तनकी नम्बर 1:– आया वाद पत्र के खण्ड संख्या 01 में वर्णित आराजी वादी की खातेदारी, काश्तकारी आराजी है।– इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी का है। जमाबन्दी सम्वत 2072–75 ग्राम खटनावली अनुसार खसरा नम्बर 1805, 1806 के काश्तकार का नाम बाबूलाल पुत्र कैलीराम कौम ब्रा. बागडी सा. देह खातेदार अंकित है। शपथ पत्र बाबूलाल में अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1805 रकवा 0.50, 1806 रकवा 0.49 हैक्ट ग्राम खटनावली तहसील बयाना में स्थित है कि जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व काबिज आराजी है। घनश्याम पुत्र फगुनी ने अपने शपथ पत्र में अंकित किया है कि विवादित आराजी जो दो नये नम्बर है में वादी बाबूलाल ने सरसों व गेंहू की फसल इस साल बोई थी कि जिनमें से सरसों की फसल वादी द्वारा काट ली गई है तथा गेहूं की सफल को वादी काट रहा है। विवादित आराजी को इस साल मैने ही जोता बोया था व फसल थ्रेसर से मुझ शपथकर्ता की मशीन द्वारा कटवा रहा है और मौके पर आज भी वादी का कब्जा है। उक्त विवेचन से सिद्व है कि विवादित भूमि का वादी खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। अतः यह तनकी पक्ष वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2:– आया वादपत्र के खण्ड संख्या 04 अनुसार प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 15.12.2018 को धमकी दी।–इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी का है परन्तु धमकी के सम्बन्ध में दावा में पर्याप्त बल नहीं दिया गया है। यह तनकी सिद्व नहीं की जा सकती है।

तनकी नम्बर 3:–आया उत्तरवाद के खण्ड संख्या 11 अनुसार विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो की छोडी हुई जमीन है जिसमें वादी 1/2 भाग एवं प्रतिवादीगण 1/2 भाग के खातेदार दर्ज है।– इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण का है परन्तु प्रतिवादीगण ने दावा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। यह तनकी पक्ष वादी विपक्ष प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 4:– आया खसरा नम्बर 1805 पर प्रतिवादीगण का 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है।– आया खसरा नम्बर 1805 पर प्रतिवादीगण का 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है।

तनकी नम्बर 5:– उत्तरवाद के मद संख्या 14 अनुसार प्रतिवादीगण विवादित आराजी के 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार हो गए है।– इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण का है परन्तु प्रतिवादीगण ने दावा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। यह तनकी पक्ष वादी विपक्ष प्रतिवादीगण तय की जाती है।

दादरसी:– प्रकरण में तनकी नम्बर 1 व 3 लगायत 5 वादी के पक्ष में तय की गई है। अतः दावा वादी स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1805 रकवा 0.50, 1806 रकवा 0.49 हैक्टै0 किता 2 रकवा 0.99 हैक्टे0 ग्राम खटनावली तहसील बयाना में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से मदाखलत व मजाहमत न करे न फसल को नष्ट करें, न ऐसा कोई कार्य करें और न किसी से कराये कि जिससे वादी के उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

अधिकारी (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 10/04/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

डिकरी व मुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE] APPENDIXD-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बयाना जिला भरतपुर

व इजलास दीपक मित्तल आर.ए.एस

मुकदमा नम्बरः–232/18 जीसीएमएस नम्बर 2018/00146

बाबूलाल पुत्र कैलीराम जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी ग्राम खटनावली तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

—— वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र रामप्रसाद
2. सुरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद
3. गिरीश पुत्र रामप्रसाद
4. गुल्लो पुत्र सुन्दरलाल
5. महेश पुत्र टीकम मृतक

5/1. राजू उर्फ राजकुमार पुत्र स्व0 महेश

5/2. उमेश पुत्र स्व0 महेश

5/3. पिंकी पुत्र स्व0 महेश

6. कलुआ पुत्र टीकम
7. धनेश पुत्र सुन्दरलाल
8. सरदार पुत्र मुरली
9. मुकेश पुत्र रामप्रसाद
10. सोमदत्त पुत्र सरदार

सभी जातियान बागरी ब्राहम्ण निवासी ग्राम खटनावली तहसील बयाना

वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत-
धारा 188 राज0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज दिनांक 10/04/26 वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू.....मुझ. .....बहाजरी श्री नरेश कुमार सिंघल एडवोकेट मिनजानिब वादीगण की ओर से तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री ..... उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि–

दावा वादी स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1805 रकवा 0.50, 1806 रकवा 0.49 हैक्टै0 किता 2 रकवा 0.99 हैक्टे0 ग्राम खटनावली तहसील बयाना में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से मदाखलत व मजाहमत न करे न फसल को नष्ट करें, न ऐसा कोई कार्य करें और न किसी से कराये कि जिससे वादी के उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा हो।

चीज..... X .....मुबलिग.....प्रतिवादीगण.....X.....बाबत
खर्चा.....तक.....को अदा करें।
वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10/04/26 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

दस्तखत मय ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलाह	रूपया	पैसे

अर्जीदावा वकालतनामा वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गंवाहन फीस कमीश्नर इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	निल	निल	वकालतनामा वहज सबूत जबाबदावा/काउन्टर क्लेम मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	निल	निल
	00	00		00	00

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)